

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

अंधेरी (पूर्व), मुंबई
ANDHERI (EAST), MUMBAI.

कार्यसूची के लिए
AGENDA FOR

मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र
विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की बैठक

**MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SECTOR SPECIFIC
SPECIAL ECONOMIC ZONE FOR IT/ITES OF M/s. CAPGEMINI
TECHNOLOGY SERVICES INDIA LIMITED.**

स्थल : सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीपज़-सेज़,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई।

VENUE : Conference Hall, 2nd Floor, the Office of the Development
Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai.

दिनांक : बुधवार, 17 अप्रैल, 2024

DATE : Wednesday, 17th April, 2024

समय : प्रातः 11:30 बजे

TIME : 11:30 A.M.

बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2024 को विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में मेसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी-सेज़ के मल्टी प्रोडक्ट सेज़ के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone for Multi Product SEZ of M/s. Jawaharlal Nehru Port Authority - SEZ under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ on Wednesday, 17th April, 2024.

सूचकांक / INDEX

कार्यसूची मद सं. Agenda Item No.	विषय Subject
कार्यसूची मद सं. 01 Agenda Item No. 01 : -	दिनांक 23.08.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। Confirmation of minutes of the meeting held on 23.08.2023.
कार्यसूची मद सं. 02 Agenda Item No. 02 : -	मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। Monitoring performance for the FY 2018-19 to FY 2022-23 of M/s. Capgemini Technology Services India Ltd.

Minutes of the **32nd Meeting** of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of **M/s. Capgemini Technology Services India Limited - SEZ**, at Powai, Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on **23.08.2023** on Video Conferencing through Cisco WEBEX application.

.....

1. Name of the SEZ : M/s. Capgemini Technology Services India Limited
2. Sector : IT/ITES
3. Meeting no : 32nd
4. Date : 23.08.2023

Members Present:

Sr. No.	Name of Members	Designation	Organization
1	Shri. C. P. S. Chauhan	Jt. Development Commissioner,	SEEPZ-SEZ.
2	Shri. Harmesh Lal	Joint Commissioner Income Tax	Nominee of Income Tax office, Kautilya Bhawan, Bandra, Mumbai.
3	Shri. Himanshu Dhar Pandey	Dy. DGFT	Nominee of the DGFT, Mumbai.
4	Smt. Kirti Deshmukh	Deputy Director Industries	Nominee of Directorate of Industries, Mumbai.
5	Shri. Sandeep Kumar	Superintendent of Customs	Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar.

Special Invitee:-

Shri. R.K. Jain : Specified Officer, Capgemini-SEZ.

Manish Kumar, ADC (New-SEZ), Shri. Palash Shankar, ADC (New-SEZ), Shri. Haresh Kisan Dahilkar, ADC (New-SEZ), Smt. Bridget Joe, EA to Development Commissioner/ADC (SEEPZ), Shri, GS Bhandari, Assistant, Smt. Rekha Nair, Assistant, Shri. Ravindra Kumar, Assistant, Shri. Rajesh Kumar, UDC (EOU) and also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 31st meeting held on 31.03.2023.


The Minutes of the 31st Meeting held on 31.03.2023 were confirmed with consensus.

Agenda Item No. 02: Monitoring of Performance of the unit M/s. Capgemini Technology Services India Limited.

The Annual Performance Report for the years 2018-19 to 2021-22 were submitted by the unit and scrutinised by the Specified Officer, Capgemini -SEZ and submitted his verification report. The unit has achieved Positive NFE of Rs.1327.07 Crore on cumulative basis.

Decision: After deliberation, the Committee **noted** the performance of the unit for the years 2018-19 to 2021-22 in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006 as the unit has achieved positive NFE of Rs. 1327.07 Crore on cumulative basis.

Meeting ended with the vote of thanks to the Chair.


21.09.2023
(Rajesh Kumar Mishra, IRS)
Chairperson-cum-
Development Commissioner

Action taken for the UAC Meeting held on 23.08.2023			
Name of SEZ	Name of Unit	Subject	Action Taken
Capgemini-SEZ	M/s. Capgemini Technology Services India Limited	Monitoring performace for the year 2018-19 to 2021-22	Monitoring Noted

सरकारी. भारत की,
क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

अनुमोदन समिति के विचार हेतु एजेंडा नोट

A. प्रस्ताव:

मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी । वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए इकाई कैपजेमिनी -सेज में स्थित है।

B. विशिष्ट मुद्दा जिस पर यूएसी का निर्णय आवश्यक है:

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी सेज नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में ब्लॉक अवधि।

C. 5 वर्षों की ब्लॉक अवधि यानी वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित निर्यात अनुमानों का विवरण नीचे दिया गया है:

I. स्वीकृत अनुमान

(रुपये करोड़ में)

	1 ला वर्ष	2 रा वर्ष	3 रा वर्ष	4 था वर्ष	5 वाँ वर्ष	कुल
निर्यात का एफओबी मूल्य	234.85	241.90	249.15	256.63	264.33	1246.86
एफई आउटगो	21.44	22.14	23.31	26.53	26.54	119.96
एनएफई	213.41	219.76	225.84	230.10	237.79	1126.90

(II) वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की ब्लॉक अवधि के दौरान अनुमानों की तुलना में प्रदर्शन

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	निर्यात अनुमानित	वास्तविक	एफई आउटगो				
			कच्चा माल (अच्छी सेवाएं)		सीजी आयात		अन्य बहिर्वाह
			अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	वास्तविक
2018-19	234.85	209.85	0	0	0	22.71	2.27
2019-20	241.90	190.59	0	0	0	22.82	3.22
2020-21	249.15	150.54	0	0	0	22.87	2.67
2021-22	256.63	144.87	0	0	0	24.41	2.78
2022-23	264.33	148.45	0	0	0	24.41	2.44
कुल	1246.81	844.3	0.00	0.00	0	117.22	13.38

वित्तीय वर्ष 2.018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की ब्लॉक अवधि के दौरान हासिल किया गया संचयी
एनएफई (रुपये करोड़ में)

वर्ष	संचयी एनएफई (अनुमानित)	संचयी एनएफई हासिल किया गया	संचयी % एनएफई हासिल किया गया
2018-19	213.41	207.57	97.26 %
2019-20	433.17	394.94	91.17 %
2020-21	659.01	542.81	82.36%
2021-22	889.11	684.90	77.03%
2022-23	1126.90	830.91	73.73%

(IV) क्या यूनिट ने सकारात्मक एनएफई हासिल किया है : हाँ

(डी) अन्य जानकारी:

एलओए नंबर और तारीख	सीपज़/न्यूसेज़/गीगाप्लेक्स-ठाणे/01 /2012-13/7982 दिनांक 24.07.2013
एलओए की वैधता	18.08.2023
निर्माण/सेवाओं की वस्तुएँ	आईटी और आईटी सक्षम सेवाएँ
उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि	19.08.2013
BLUT का निष्पादन	
a. माल के लिए BLUT	हां यूनिट द्वारा प्रदान किया गया
b. सेवाओं के लिए BLUT	इकाई द्वारा निष्पादित नहीं किया गया
बकाया किराया बकाया	ना
श्रम देय	ना
लीज समझौते की वैधता	एनए (एसईजेड परिसर के स्वामित्व में)
लंबित सीआरए आपत्ति, यदि कोई हो	ना
लंबित कारण बताओ नोटिस/बेदखली आदेश/वसूली नोटिस/वसूली आदेश जारी, यदि कोई हो	ना

a. ब्लॉक अवधि के लिए अनुमानित रोजगार		987
b. 31.03.2023 तक कर्मचारियों की संख्या		825 (मार्च, 2023 के एमपीआर पर आधारित)
क्षेत्र आवंटन घ (वर्ग मीटर में)		59,502.32 वर्ग फुट।
प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रति वर्ग फुट क्षेत्र उपलब्ध है। आधार)		72.13 प्रति वर्गफुट।
अब तक का निवेश	इमारत	0.00
	पौधे व यंत्र	11928.49
	कुल	11928.49
प्रति वर्ग फुट . वित्त वर्ष के दौरान निर्यात करें		0.01
नियम 34 के अंतर्गत निर्यात किये गये माल की मात्रा एवं मूल्य (अप्रयुक्त माल)		लागू नहीं
निगरानी अवधि के दौरान मूल्य संवर्धन		लागू नहीं
क्या अब विचार किए जा रहे सभी एपीआर समय सीमा के भीतर दाखिल किए गए हैं, या अन्यथा। यदि नहीं, तो विलंबित दिनों की संख्या सहित वर्ष का विवरण दिया जाए।		लागू नहीं

(ई) निर्यात और आयात डेटा का मिलान।

a. निर्यात

(रुपये करोड़ में)

वर्ष/अवधि	एपीआर में रिपोर्ट किए गए आंकड़े (एफओबी मूल्य)	सॉफ्टवेक्स /ट्रेड डेटा के अनुसार आंकड़े	अंतर यदि कोई हो	अंतर का कारण/टिप्पणी
2018-19	209.85	213.21	3.36	यह अंतर विनिमय में उतार-चढ़ाव और क्रेडिट नोट समायोजन के कारण है
2019-20	190.59	191.80	1.21	
2020-21	150.54	155.23	4.68	

2021-22	144.87	145.83	0.96
2022-23	148.45	148.55	0.09

b. आयात

(रुपये करोड़ में)

वर्ष/अवधि	आंकड़े एपीआर के अनुसार	सॉफ्टवेक्स /ट्रेड डेटा के अनुसार आंकड़े	अंतर यदि कोई हो	मतभेद के कारण
2018-19	22.71	3.81	18.89	यूनिट ने एपीआर में संचयी आयात डेटा दिखाया है। वित्त वर्ष 17-18 से आगे ले जाएं रु. 18.70 करोड़) + (वित्तीय वर्ष 2018-19 रु. 4.00 करोड़। वास्तविक आयात) इसके अलावा, पांच बीओई की राशि रु. 0.19 करोड़. एनएसडीएल डेटा में विचार नहीं किया गया है और एक बीओई राशि रु। एसईजेड इकाई से 0.06 लाख छूट गए। इसलिए, वास्तविक आयात रु. 4 करोड़ .
2019-20	22.82	0.19	22.63	यूनिट ने वित्त वर्ष 2018-19 से एपीआर कैरी फॉरवर्ड में संचयी आयात डेटा दिखाया है। 22.71 करोड़ + वित्तीय वर्ष। 2019-20 रु. 0.11 करोड़) इसके अलावा एक बीओई राशि रु. 7.41 को एनएसडीएल डेटा में शामिल नहीं किया गया है और यूनिट से बीओई की राशि भी छूट गई है। 7.63 इसलिए, वास्तविक आयात 0.26 लाख है ।
2020-21	22.87	0.07	22.79	22.87 (2019-20 से आगे ले जाएं, 22.82 करोड़ रुपये + वित्त वर्ष 2020-21 0.04 करोड़ रुपये। निरीक्षण के कारण, एसईजेड इकाई 0.03 करोड़ की एक ज़ोन से ज़ोन प्रविष्टि से चूक गई है। इसलिए, वास्तविक आयात 0.07 करोड़ है।
2021-22	24.41	1.54	22.87	24.41 (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 22.87 करोड़ रु. + (वित्तीय वर्ष 2021-22 रु. 1.54 वास्तविक आयात)
2022-23	24.41	शून्य	24.41	24.41 (वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगे बढ़ाएँ रु. 24.41 + वित्त वर्ष 2022-23 रु. शून्य करोड़)।

इसके अलावा, उपरोक्त तालिका में वे एपीआर में आयात (आईयूटी (एसईजेड, ईओयू, एसटीपीआई, ईएचटीपी से) सहित) के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं: -

वित्तीय वर्ष	आयात के अनुसार आंकड़े (व्यापार के अनुसार आईयूटी-जोन से जोन (एसईजेड, ईओयू, एसटीपीआई, ईएचटीपी से) सहित)	सह मूल्य (18-19)	सह मूल्य (19-20)	सह मूल्य 20-21)	सह. मान 21-22	सह मूल्य 22-23	एपीआर के अनुसार
2018-19	3.81	18.70					22.71
2019-20	0.19		22.71				22.82
2020-21	0.07			22.82			22.87
2021-22	1.54				22.87		24.41
2022-23	शून्य					24.41	24.41

(एफ) बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी)

I	कुल बांड-सह-कानूनी उपक्रम	01 नग
Ii	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इकाई द्वारा दिया गया BLUT का शेष मूल्य।	5 करोड़
Iii	वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित अतिरिक्त बांड-सह-कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) का मूल्य।	0.00
Iv	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित या खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं पर छोड़ा गया शुल्क (डीटीए द्वारा खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं पर छोड़ा गया जीएसटी शामिल होना चाहिए)	4.74 करोड़
V	वित्तीय वर्ष के अंत में BLUT का शेष मूल्य	0.25 करोड़

(जी)	अनुमेय अवधि से परे लंबित विदेशी प्रेषण का विवरण, यदि कोई हो इसे क्रॉस-चेक करें और सत्यापित करें कि क्या एडी बैंक/आरबीआई से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई है।	ना
(एच) (ए)	उक्त अवधि के लिए सभी सॉफ्टवेक्स दाखिल किए गए हैं। यदि नहीं, तो उसका विवरण दें। एसओ को यह भी जांचना होगा कि यूनिट ने सॉफ्टवेक्स प्राप्त किया है या नहीं डीसी कार्यालय/आरबीआई से माफ़ी और	नहीं

	यदि स्वीकृत है, तो क्या उन्होंने ऐसा लंबित सॉफ्टवेक्स दाखिल किया है।	
(बी)	क्या सभी सॉफ्टवेक्स को प्रमाणित किया गया है, यदि हाँ तो किस माह तक प्रमाणित किया गया है। यदि नहीं, तो सॉफ्टवेक्स का विवरण और लंबित होने का कारण बताएं।	हाँ
(सी)	सॉफ्टवेक्स को रद्द करने के लिए कोई अनुरोध दायर किया है	नहीं
(में)	इस अवधि के दौरान आईटी/आईटीईएस इकाइयों में भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए/एसईजेड/ईओयू/एसटीपीआई आदि में कोई सेवा प्रदान की गई है। यदि हाँ, तो उसका विवरण (वर्षवार विवरण प्रदान किया जाए)	
(जे)	क्या इकाई अपने किसी बुनियादी ढांचे को अन्य इकाइयों के साथ साझा कर रही है या उसी या अन्य एसईजेड में किसी अन्य इकाई के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रही है। यदि हाँ, तो उसका विवरण, उस इकाई का विवरण, जिसके साथ साझाकरण किया जा रहा है, और भुगतान की शर्तें शामिल हैं। यदि सामान्य बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए अनुमोदन यूएसी/डीसी कार्यालय से प्राप्त किया गया है, तो यूएसी/अनुमोदन पत्र की तारीख बताई जानी चाहिए	हाँ, एसईजेड डेवलपर ने पत्र संदर्भ के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, एसईजेड डिवीजन से "अनापति" प्राप्त की थी। क्रमांक K-43016(11)/7/2021-SEZ दिनांक 22.09.2022.
(क)	क्या उक्त निगरानी अवधि के दौरान खरीदी गई सेवाओं के लिए सभी डीएसपीएफ यूनिट द्वारा दायर किए गए हैं और क्या इसे एसओ कार्यालय द्वारा अनुमोदन के लिए संसाधित किया गया है।	नहीं, एसईजेड यूनिट ने सभी एसडीपीएफ जमा नहीं किया है, हालांकि उन्होंने घोषणा की है कि यह जमा करने की प्रक्रिया में है और वे जल्द से जल्द आगे की सीमा शुल्क समर्थन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
(एल)	क्या इकाई ने सभी डीटीए खरीद रिट दायर की है। संबंधित अवधि के लिए निगरानी अवधि के दौरान उनके द्वारा खरीदा गया सामान। यदि नहीं, तो उसका विवरण दें	हाँ
(एम)	निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि पर डीटीए खरीद के संबंध में ओओसी के लिए लंबित अनुरोध आईडी का विवरण	ना
(एन)	क्या इकाई ने इकाई परिसर में कोई कैफेटेरिया/कैंटीन/फूड कोर्ट स्थापित किया है। यदि हाँ, तो क्या यूएसी/डीसी कार्यालय से अनुमति जारी की गई है, या अन्यथा कार्यालय जारी किया गया है, या अन्यथा	हाँ, जैसा कि एसईजेड डेवलपर ने लेटर रेफरी के खिलाफ इस कार्यालय को अवगत कराया था। क्रमांक सीपूज-एसईजेड/न्यूजेज/इंटर्न्स/225/2009-10/वॉल्यूम-II दिनांक 03.05.2018 को नियम 11 (5) के

	<p>क्या इकाई ने ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए किसी शुल्क मुक्त सामान/सेवाओं का लाभ उठाया है?</p> <p>यदि हाँ, तो क्या इकाई ने ऐसे शुल्क/कर लाभ का भुगतान कर दिया है? वसूले गए या अभी वसूल किए जाने वाले शुल्क/कर की राशि सहित विवरण दिया जाना चाहिए</p>	<p>अनुसार और उन्होंने संदर्भ के माध्यम से अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया था। नहीं। एमआईडीसी/फायर/96 दिनांक 11.01.2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन सलाहकार, एमआईडीसी, मुंबई से।</p> <p>नहीं, उन्होंने ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए किसी शुल्क छूट का लाभ नहीं उठाया है।</p>
(ओ)	<p>क्या निगरानी अवधि के दौरान निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कानून के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन देखा/देखा गया है</p>	<p>ना</p>

जीएसटी रिटर्न में जीएसटीआर-2ए में दाखिल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के विवरण के संबंध में। इकाई घोषणा करती है कि उनके पास महाराष्ट्र में कई एसईजेड इकाइयां हैं जिनके लिए विभाग द्वारा एक सामान्य जीएसटी नंबर आवंटित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र स्थित सभी एसईजेड इकाइयों के लिए सामान्य जीएसटीआर - 2ए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि एनएसडीएल डेटा यूनिट के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

इसलिए, उन्होंने जीएसटीआर - 2ए और एनएसडीएल डेटा के बीच तुलना प्रदान करने में असमर्थता दिखाई।

P. टिप्पणियाँ:

- इकाई ने रुपये का संचयी निर्यात राजस्व हासिल किया है। रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 830.91 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 1126.90 करोड़ यानी 73.73%।
- यूनिट ने वित्त वर्ष में ~~—%~~ शुल्क का मूल्यवर्धन हासिल किया है। (लागू नहीं, क्योंकि उक्त इकाइयां आईटी/आईटीईएस (इकाई) हैं।
- सभी एपीआर निर्धारित समय अवधि के भीतर दाखिल कर दिए गए हैं/ यूनिट निर्धारित समय अवधि के भीतर ~~—~~ अवधि के लिए एपीआर दाखिल करने में विफल रही है। (जो लागू न हो उसे काट दें)।
- यूएसी नियम, 2006 के संदर्भ में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन की निगरानी करना चाह सकता है।

(प्र) एडीसी की सिफारिश:

- 2018-19 एवं 2022-23 के लिए इकाई द्वारा प्रस्तुत एपीआर।
- यूनिट ने रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है। एसओ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान संचयी आधार पर 830.91 करोड़ रु .
- एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार निगरानी के लिए अनुमोदन समिति को अनुशंसित।

**GOVT. OF INDIA,
OFFICE OF THE ZONAL DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
ANDHERI (EAST), MUMBAI**

AGENDA NOTE FOR CONSIDERATION OF THE APPROVAL COMMITTEE

A. PROPOSAL:

Monitoring of the performance of **M/s. Capgemini Technology Services India Limited** unit located in Capgemini-SEZ for the period from F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23.

B. Specific Issue on which decision of UAC is required:

Monitoring of the performance of the unit for F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23
Block period in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.

C. The details of the approved export projections for block period of 5 years i.e. F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23 are as detailed below:

I. APPROVED Projections

(Rs. in Crore)

	1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year	5 th Year	Total
FOB value of export	234.85	241.90	249.15	256.63	264.33	1246.86
FE Outgo	21.44	22.14	23.31	26.53	26.54	119.96
NFE	213.41	219.76	225.84	230.10	237.79	1126.90

(II) Performance as compared to projections during the block period F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23

(Rs. In Crore)

Year	Export		F.E. OUTGO				
	Projected	Actual	Raw Material (Goods/Services)		C.G. import		Other outflow
			Projected	Actual	Projected	Actual	
2018-19	234.85	209.85	0	0	0	22.71	2.27
2019-20	241.90	190.59	0	0	0	22.82	3.22
2020-21	249.15	150.54	0	0	0	22.87	2.67
2021-22	256.63	144.87	0	0	0	24.41	2.78
2022-23	264.33	148.45	0	0	0	24.41	2.44
Total	1246.81	844.3	0.00	0.00	0	117.22	13.38

(III) Cumulative NFE achieved during the block period F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23

(Rs. in Crore)

Year	Cumulative NFE (Projected)	Cumulative NFE Achieved	Cumulative % NFE Achieved
2018-19	213.41	207.57	97.26%
2019-20	433.17	394.94	91.17%

2020-21	659.01	542.81	82.36%
2021-22	889.11	684.90	77.03%
2022-23	1126.90	830.91	73.73%

(IV) Whether the Unit achieved Positive NFE : Yes

(D) Other Information:

LOA No. & Date		SEEPZ/NEWSEZ/GIGAPLEX-THANE/01/2012-13/7982 Dated 24.07.2013
Validity of LOA		18.08.2023
Item(s) of manufacture/ Services		IT & IT Enabled Services
Date of commencement of production		19.08.2013
Execution of BLUT		
a. BLUT for Goods		Yes Provided by Unit
b. BLUT for Services		Not executed by unit
Outstanding Rent dues		NA
Labour Dues		NA
Validity of Lease Agreement		NA (being owned SEZ campus)
Pending CRA Objection, if any		NA
Pending Show Cause Notice/ Eviction Order/Recovery Notice/ Recovery Order issued, if any		NA
a. Projected employment for the block period		987
b. No. of employees as on 31.03.2023		825 (based on MPR of March, 2023)
Area allotted (in sq.mt.)		59,502.32 sq. ft.
Area available for each employee per sq.ft. basis)		72.13 per sq.ft.
Investment till date	Building	0.00
	Plant & Machinery	11928.49
	TOTAL	11928.49
Per Sq.ft. Export during the FY		0.01

Quantity and value of goods exported under Rule 34 (unutilized goods)	Not Applicable
Value Addition during the monitoring period	Not Applicable
Whether all the APRs being considered now has been filed well within the time limit, or otherwise. If no, details of the Year along with no of days delayed to be given.	Not Applicable

(E) Reconciliation of Export & Import data.

a. EXPORT

(Rs.in Crore)

Year/Period	Figures reported in APR (FOB Value)	Figures as per Softex/Trade Data	Difference if any	Reason for Difference/Remark
2018-19	209.85	213.21	3.36	The difference is due to Exchange fluctuation and credit note adjustment
2019-20	190.59	191.80	1.21	
2020-21	150.54	155.23	4.68	
2021-22	144.87	145.83	0.96	
2022-23	148.45	148.55	0.09	

b. IMPORT

(Rs. In Crore)

Year/Period	Figures as per APR	Figures as per Softex/Trade Data	Difference if any	Reasons for difference
2018-19	22.71	3.81	18.89	Unit has shown the cumulative import data in the APR. Carry forward from F.Y. 17-18 Rs. 18.70 Cr.) + (F.Y. 2018-19 Rs. 4.00 Cr. Actual import) Further, there are five BOE's amounting Rs. 0.19 Cr. are not considered in the NSDL data and one BOE amounting Rs. 0.06 Lakhs is miss out from SEZ unit. Therefore, the actual import is Rs. 4 Crore.

2019-20	22.82	0.19	22.63	Unit has shown the cumulative import data in the APR Carry forward from F.Y. 2018-19 Rs. 22.71 Crore + FY. 2019-20 Rs. 0.11 Crore) Further one BOE amounting Rs. 7.41 is not considered in the NSDL data and unit has also miss out BOE amounting Rs. 7.63 therefore, the actual import is 0.26 Lakhs.
2020-21	22.87	0.07	22.79	22.87(Carry forward from 2019-20 Rs, 22.82 Cr. + F.Y. 2020-21 Rs. 0.04 Cr. Due to oversight, SEZ unit has missed out one Zone to Zone entry of 0.03 Cr. Therefore, the actual import is 0.07 Cr.
2021-22	24.41	1.54	22.87	24.41 (carry forward of from F.Y. 2020-21 Rs. 22.87 Cr. + (F.Y. 2021-22 Rs. 1.54 Actual Import)
2022-23	24.41	Nil	24.41	24.41 (Carry forward from F.Y. 2021-22 Rs. 24.41 + F.Y. 2022-23 Rs. NIL Crore.

Further, above table they are submitting Figures as per Import (Including of IUT (from SEZ, EOU, STPI, EHTP) in APR are as under :-

FY	Figures as per Import (Including of IUT-Zone to Zone (From SEZ, EOU, STPI, EHTP) as per Trade	Cum Value (18-19)	Cum Value (19-20)	Cum Value 20-21)	Cum. Value 21-22	Cum Value 22-23	As per APR
2018-19	3.81	18.70					22.71
2019-20	0.19		22.71				22.82
2020-21	0.07			22.82			22.87
2021-22	1.54				22.87		24.41
2022-23	Nil					24.41	24.41

(F) Bond cum Legal Undertaking (BLUT)

i	Total Bond-Cum Legal Undertaking	01 Nos
ii	Remaining Value of BLUT given by entity at the start of the Financial Year.	5 Crore
iii	Value of Additional Bond-cum-Legal Undertaking (BLUT) executed during the Financial Year.	0.00

iv	The duty forgone on Goods/ Services imported or procured during the Financial Year (should include the GST foregone on DTA procured goods/services)	4.74 Crore
v	Remaining Value of BLUT as at the end of the Financial Year	0.25 Crore

(G)	Details of pending Foreign Remittance beyond Permissible period, if any To cross-check the same and verify whether necessary permission from AD Bank / RBI has been obtained.	NA
(H) (a)	Whether all softex has been filed for the said period. If no, details thereof. SO to also check whether unit has obtained Softex condonation from DC office / RBI and if approved, whether they have filed such pending Softex.	No
(b)	Whether all Softex has been certified, if so till which month has the same been certified. If not, provide details of the Softex and reasons for pendency.	Yes
(c)	Whether unit has filed any request for Cancellation of Softex	No
(I)	Whether any Services provided in DTA / SEZ/EOU/STPI etc. against payment in INR in r/o IT/ITES Unit during the period. If yes, details thereof (year wise details to be provided)	
(J)	Is the unit sharing any of their infrastructures with other units or are utilizing infrastructure of another unit in the same or other SEZ. If so, details thereof, including the details of the unit with whom the sharing is being made, and the payment terms. If approval for sharing of common infrastructure has been obtained from UAC / DC office, the date of UAC / Approval letter to be indicated	Yes SEZ Developer had obtained "No Objection" from Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, SEZ Division vide Letter ref. No. K-43016(11)/7/2021-SEZ Dtd. 22.09.2022.
(K)	Whether all DSPF for services procured during the said monitoring period under consideration has been filed by the unit and whether the same has been processed for approval by the SO Office.	No, SEZ Unit has not submitted all SDPF however they have declared that It's under process of submission and they will complete further Customs endorsement procedure at the earliest.
(L)	Whether unit has filed all DTA procurement w.r.t. the goods procured by them during the monitoring period for the relevant period.	Yes

	If no, details thereof	
(M)	Details of the request IDs pending for OOC in respect of DTA procurement on the date of submission of monitoring report	NA
(N)	Has the unit set up any cafeteria / canteen / food court in unit premises. If yes, whether permission from UAC / DC office has been issued, or otherwise office has been issued, or otherwise Whether unit has availed any duty free goods / services for setting up such facility? If yes, whether unit has discharged such duty / tax benefit availed? details to be given including amount of duty / tax recovered or yet to be recovered	Yes, as SEZ Developer had conveyed to this office against Letter Ref. No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/INTRNS/225/2009-10/VOL-II Dtd. 03.05.2018 as per Rule 11 (5) and They had also obtained approval vide ref. no. MIDC/Fire/96 Dtd. 11.01.2016 from Chief Fire Officer & Fire Advisor, MIDC, Mumbai. No, They have not availed any duty exemption for setting up such facility.
(O)	Whether any violation of any of the provisions of law has been noticed / observed by the Specified Officer during the period under monitoring	NA

Further, as regards to detailed of value of goods and services filed in GSTR- 2A in GST Return. The Unit declare that they have multiple SEZ Units in Maharashtra for which a common GST Number has been allotted by the department. In view of this common GSTR – 2A report is getting generated for all SEZ Units based in Maharashtra, whereas NSDL data can be fetched Unit wise.

Hence, they shown inability to provide a comparison between GSTR – 2A and NSDL data.

P. Observations:

- The unit has achieved cumulative export revenue of Rs. 830.91 Crore as against projected export of Rs. 1126.90 Crore i.e. 73.73% during the period from F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23.
- Unit has achieved value additions of —% duty the FY. (Not applicable, as the said Units is IT/ITES (Unit).
- All the APRs have been filed within the stipulated time period/~~Unit has failed to file APR for the period — within the stipulated time period.~~ (Strike out whichever is not applicable).
- UAC may like to monitor the performance of the Unit for the period from F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23 in terms of Rules, 2006.

(Q) ADC's Recommendation :

- APR submitted by the unit for the year **2018-19 & 2022-23.**
- The unit has achieved Positive NFE of **Rs. 830.91 Crore** on cumulative basis during

the year 2022-23 as per S.O. report.

- Recommended to Approval Committee for monitoring as per Rule 54 of SEZ Rules, 2006.
